SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

बाल अपचारियों को सुधारने में बाल संप्रेक्षण गृह की भूमिका

नीलू अग्रवाल, मास्टर इन सोशल वर्क विभाग
अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
नीलू अग्रवाल

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 04/08/2023
Revised on : -----
Accepted on : 14/08/2023
Plagiarism : 08% on 04/08/2023

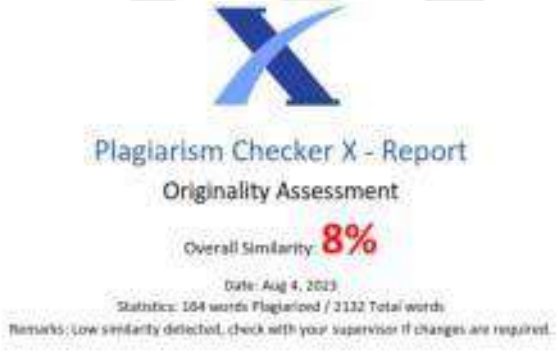

शोध सार

बाल अपराध की उत्पत्ति काफी जटिल और अंत संबंधित कार्य का परिणाम है जिसकी प्रवृत्ति बहुत हद तक व्यक्तिगत होती है। प्रत्येक बाल अपचारी अपने आप में एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित होता है। इस प्रभाव की प्रवृत्ति हर बालक में अलग–अलग होती है। समाज शास्त्रीय जॉन्स ने ठीक ही कहा है कि "बाल अपचार पैदा नहीं होती है। दरअसल यह देश के सामाजिक जीवन का ही हिस्सा है और जैसे–जैसे सामाजिक संगठन बदलते हैं, इसकी प्रकृति भी बदल जाती है।" यह हर देश, हर काल और हर समाज में पाई जाती है, अतः इसके निदान के उपाय भी देश काल और विशेषता परिस्थितियां के अनुकूल ही होना चाहिए।

मुख्य शब्द

बाल अपराध, संप्रेक्षण गृह, समाज, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, अनुकूल.

प्रस्तावना

वर्तमान में बाल अपचार की समस्या ने पूरी दुनिया में एक गंभीर रूप धारण कर लिया है। तेजी से बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थिति ने सामाजिक परिवर्तन की गति को काफी बढ़ा दी है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के संरचना और प्रकार्य में काफी तेजी से बदलाव आया है। 16–17 की उम्र के बालक – बालिकाओ को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वच्छंदता ही बड़ी जीवन में अत्यधिक समस्या हो चुकी है, जिससे इनके जीवन मूल्य में काफी तेजी से बदलाव आया है। भौतिक सुख समृद्धि और उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पहले से काफी बदल चुका है। यही कारण है कि बच्चे अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे है और आज की आधुनिक चकाचौंध भारी दुनिया सूचना और संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदला आया है, कुल मिलाकर कह सकते हैं

कि वर्तमान मनुष्य समाज क्रांति काल से गुजर रहा है। इन परिस्थितियों ने बच्चों के सामाजिकरण प्रक्रिया को बहुत हद तक प्रभावित किया है। परिवार और समाज का नियंत्रण बच्चों पर पहले जैसा नहीं रहा है परिणाम स्वरुप बालको मे विचलन कारी व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ी है।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र रायपुर जिले के माना कैम्प शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह रायपुर से किया गया है।

अध्ययन की पद्धति

अध्ययन हेतु साक्षात्कार अनुसूची प्रयोग कर आंकड़ों का संकलन संप्रेक्षण गृह में किया गया। सुनील साहू के सहयोग से शोध के लिए अनिवार्य दशाए संबंध अध्ययन अनुभव, सर्वेक्षण आदि कार्य किया गया है।

निदर्श

प्रस्तुत शोध कार्य में संकलन हेतु शासकीय संप्रेक्षण गृह के काउंसलर श्री सुनील साहू सर से बातचीत तथा वहां पर जाकर 40 बच्चों का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. बाल संप्रेक्षण गृह में बालकों की रहने की स्थिति स्थिति का अध्ययन
2. बाल संप्रेक्षण गृह में माहौल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना
3. बाल संप्रेक्षण से निकले हुए बाल को को एक नई शुरुआत के रूप में अध्ययन करना तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है।

शोध की विधि एवं विवेचन

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

बाल संप्रेक्षण गृह की भूमिका

शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह रायपुर में दिनांक 15/11/1971 से संचालित है। प्रारंभ में यह संस्था नूरानी चौक राजा तालाब रायपुर में किराए से भवन संचालित थी। वर्ष जून 1980 से बाल संप्रेक्षण गृह माना कैंप के शासकीय भवन एवं नवनिर्मित भवन में संचालित किया जा रहा है।

कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में उपेक्षित तथा अपचारी किशोरों के लिए राजकीय संप्रेक्षण गृह की स्थापना की गई है। न्यायालय के आदेश के अनुसार 18 वर्ष तक के अपचारी विरुद्ध हैं, बच्चे को नुकसान से बचाना, चिकित्सा देखभाल और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है।

माना कैंप स्थित भवन में अधीक्षक निवास, कार्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण एवं छात्रावास है। यहां संस्था पहले प्रारंभ में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा था। सत्र 2015–2016 में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। महिला बाल विकास का पंजीयन दिनांक 25/10/2017 को हुआ है।

अप्रैल 2016 से इसी परिसर में "प्लेस ऑफ सेफ्टी" (16 वर्ष की आयु जघन्य अपराध वाले बालकों के लिए सुरक्षित स्थान) पर इन बच्चों के लिए संचालित किया जा रहा है।

बाल संप्रेक्षण गृह के कार्य

1. संस्था शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह में माननीय किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के उपरांत विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को प्रकरण के लंबित रहने की अवधि तक रखा जाता है तथा उन्हे ऐसी प्रशिक्षण दी जाती है जो उनके बाहर संप्रेक्षण गृह से निकालने के उपरांत जीवन व्यापन के लिए स्वलम्बन के कार्य मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है।
2. विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को संस्था में निशुल्क भोजन, आवास, शिक्षण प्रशिक्षण नैतिक शिक्षा,

परामर्श तथा खेलकूद इत्यादि की सुविधाएं प्रदान किया जाता है।

3. बालकों को बौद्धिक स्तर के अनुसार विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के माध्यम से उनकी आदतों सुधार और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है
4. 18 वर्ष तक के अपचारी बच्चे को नुकसान से बचाना चिकित्सा देखभाल और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है।

कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में उपेक्षित तथा अपचारी किशोरों के लिए राजकीय सम्प्रेक्षण गृह की स्थापना की गई है, मा० न्यायालय के आदेशानुसार 48 वर्ष तक के बाल अपचारी निरूद्ध किये जाते हैं। इसमें भोजन, आश्रय, कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना शामित्र है। इसमें बच्चे को नुकसान से बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है।

तालिका क्रमांक 1: उत्तरदाता का बाल संप्रेक्षण गृह में रहने की स्थिती

क्रम. सं.	संप्रेक्षण गृह	आवृत्ती
1	2–15 दिन	10
2	1–2 महिना	13
3	2–4 महिना	8
4	4–6 महिना	4
5	6–12 महिना	1
6	1 वर्ष से ज्यादा	4
योग		40

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि बाल उत्तरदाता बाल सम्प्रेषण में 1–2 महीने से है।

तालिका क्रमांक 2: बाल संप्रेक्षण गृह के माहौल के बारे में जानकारी

क्रमांक	माहौल	आवृति
1	अच्छा	25
2	बुरा	05
3	सामान्य	10
योग		40

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है की 25 उत्तरदाताओं ने बताया कि बाल सम्प्रेषण गृह का माहौल अच्छा है।

बाल सम्प्रेषण गृह से निकल कर एक नई शुरूवात का मतलब है कि आप खुद को उन बदलावों को स्वीकार करने दे रहे हैं जो आपके लिए अच्छी चीजें लेकर आ सकते हैं। नई शुरुआत का मतलब है कि आप यह जानने में सक्षम हैं कि अतीत में आपने कहां कमी की और असफलताओं के उन उदाहरणों का उपयोग करके अपने भविष्य के लिए सफलता की सीढ़ी बनाई। नई शुरुआत का मतलब है कि आप हजारों नए अवसरों के लिए खुले हैं जो आपके व्यक्तित्व के एक नए संस्करण को परिभाषित करेंगे। नई शुरुआत का मतलब है कि आप अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक बेहतर जीवन चुनने में सफल हुए हैं।

उत्तरदाता का रोजगार परक शिक्षा और लाभ (लाभ का समाजवादी सिद्धांत)– लाभ के समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिपादक कार्ल मार्क्स जिन्होंने अपनी पुस्तक में पूंजीवादी की त्रुटियों की ओर संकेत किया था। उनका विचार यह था कि वस्तु की कमाई उसमें लगाए गए श्रम का पूरा प्रतिफल नहीं देती है, उसका शोषण करते हैं इसलिए कार्ल मार्कस ने लाभ को कानूनी तौर पर कह कर संबोधित किया था।

तालिका क्रमांक 3: उत्तरदाता का शिक्षा और खेलने–कूदने की व्यवस्था

क्रमांक	शिक्षा और खेलने–कूदने की व्यवस्था	आवृति
1	हाँ	35
2	नहीं	05
	योग	40

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है की 35 आवृति उत्तरदाता ने बताया की बाल सम्प्रेषण गृह में उनके खेलने–कूदने की व्यवस्था पर उचित ध्यान दिया जाता है।

उत्तरदाता का शिक्षा और खेलने–कूदने की व्यवस्था– खेल सामान्यतः खेल को एक संगठित, प्रतिस्पर्धात्मक और प्रशिक्षित शारीरिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रतिबद्ता तथा निष्पक्षता होती है। कुछ देखे जाने वाले खेल इस तरह के गेम से अलग होते है, क्योंकि खेल में उच्च संगठनात्मक स्तर एवं लाभ (जरूरी नहीं कि वह मौंद्रिक ही हो) शामित्र होता है। कौंटिल्य के अनुसार शिक्षा की परिभाषा शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनाना सिखाती है तथा उसका व्यक्तिगत विकास करती है।

बाल सम्प्रेषण गृह मे बालक को दिन मे कितने बार भोजन– भोजन वे सभी आवश्यक पदार्थ होते हैं जिसे ग्रहण करने से किसी जीव की शरीर की रचना तथा टूट–फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ – जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन आदि के कार्य करते हैं। भोजन जीव और जनन के लिए बहुत आवश्यक होती है क्योंकि इसे शरीर में अवशोषित होने से शरीर का पोषण होता है. भोजन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल तथा प्रोटीन से बना होता है और इसे जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जाता है।

तालिका क्रमांक 4: बाल संप्रेक्षण गृह मे बालक के स्वास्थ के देखभाल

क्रमांक	स्वस्थ	आवृति
1	अच्छा	25
2	सामान्य	5
3	बुरा	5
4	संतोषजनक	5
	योग	40

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है की 25 आवृति उत्तरदाता ने बताया की बाल सम्प्रेषण गृह में उनके स्वस्थ का देखभाल अच्छा है।

बाल सम्प्रेषण गृह मे बालक के स्वास्थ्य के देखभाल– किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रुप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। स्वास्थ ही जीवन है, हमें सर्वागीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग–अलग होता है। लेकिन अगर हम एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की बात करें तो अपने आपको स्वस्थ कहने का यह अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आनेवाली सभी सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों का प्रबन्धन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हों।

निष्कर्ष

बाल संप्रेक्षण गृह रायपुर माना कैम्प में समय–समय पर विभिन्च्न अपराधों के जुर्म में आये बाल–अपराधियों को लिया गया है। बाल–अपराध संबंधी–आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में बाल–अपराध के मामलें निरन्तर बढ़ रहे

हैं। सन्द 2005 में जहाँ बाल–अपराध के 18,939 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2012 में इसकी संख्या बढ़कर 27,936 हो गयी, जो कि कुल दर्ज अपराधों का लगभग एक प्रतिशत है। बाल–अपराधियों की संख्या के हिसाब से देखें तो भारत में मध्य–प्रदेश (6,488), महाराष्ट्र (6,630) छत्तीसगढ़ (2,502), और गुजरात (2,406) के बाद राजस्थान (2,551) का नम्बर आता है। इस प्रकार 2012 के आँकड़ो के अनुसार बाल–अपराध में, भारत में राजस्थान का प्रतिशत लगभग 7.0 प्रतिशत हुआ। भारत में दर्ज कुल बाल–अपराधों में ज्यादातर मामलें चोरी, चोट या क्षति पहुँचाने, सेंधमारी या दंगा–फसाद के पाये गये। ये कुल मिलाकर समस्त बाल–अपराधों का 58.2 प्रतिशत दर्ज किये गये। राजस्थान में भी बाल–अपराधों में ज्यादातर मामले इन्हीं से संबंधित है।

बच्चों को बाल–अपराधी बनने से रोकने के लिये सरकार को निम्न्द सामाजिक–आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों के उचित भरण–पोषण और शिक्षण के विशेष प्रयास करने होंगे, क्योंकि ज्यादातर बाल–अपराधी गरीब और कम पढ़े–लिखे परिवारों से आते हैं। हालाँकि बाल–अपराध की रोकथाम और उनके सुधार के लिये सरकार की ओर से कई संस्थागत उपाय किये गये हैं, परन्तु इन संस्थाओं की कार्य–प्रणाली बहुत औपचारिक तरीके की है, जो , बाल–अपराधियों के सुधार की प्रक्रिया में ज्यादा सहायक नहीं है। इन संस्थाओं से निकले बच्चे पुनरू अपराध की दुनिया में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। अतः समाज की मुख्यधारा में इन्हे लाने के लिये हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

संदर्भ सूची

1. Ahuja, Ram & Ahuja, Mukesh.2006. Foospukred *अपराधशास्त्र,* Rawat publications, Jaipur, P.116.
2. Besant,Anny. 1942, *The School Boys as a Citizen,* Madras, ,P.3.
3. Bhattacharya, S.K. 2004. *"The Juvenile Justice System in India from welfare to rights",* Oxford University Press.
4. Burt, Cyiil, *The Young Delinquent,* P.129.
5. Caldwell, R.G. 1956, *Criminology,* P240.
6. Chandra, Sushil .1967. *"Sociology of Deviation in India",* Allied Publisher Pvt. Ltd., New Delhi. p.1.
7. Clinard, Marshall B.S. Deniel, J. Abbott .1973. *"Crime in Developing Countries",* New York.
8. Cloward, R. And Ohlin, L. 1960. *"Delinquency and Opportunity",* New York, Free Press.
9. Gillin & Gillin.1945. *Criminology and Penology* (3rd Ed.) New York: Appleton Century.
10. Glueck & Glueck.1956, *Physique and Delinquency,* New York, P.64.
11. Goyel, C.P. 1965. "A Study of Five Hundred Delinquents in relation to Home and Social Situation", Unpublished Ph.D. Thysis, Agra.
12. Jones, Juvenile Justice Act, 1986, *Juevenile Delinquency and Law,* P.9.
13. Knudten and Schafter.1970, *Juvenile Delinquency ; An Introduction,* Random House, New York, P.29.
14. Kumari, Manju. 2000, *भारत में बाल अपराध* Printwell Publishers, Jaipur, P.4.
15. Mishra, Mamta May. 2002. *"Juvenile Delinquency and the Urban Society",* Merut : Anu Books.
16. Neumeyer, M.H. 1961, *Juvenile Delinquency in modern society ,* New York, P.194.

****